!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक / स्था. / शीत.अव. / 2018 / 31034 दिनांक : 06/12/18

-: आ दे श :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 08 / ई.वी. / 2017 दिनांक 02.11.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवधि में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर एवं समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय बन्द रहेंगे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 09 / विविध / 2018 दिनांक 16.11.2018 के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 25.12.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर तथा समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में अलवर सेशन खण्ड के ऐसे आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के समक्ष पेश किये जावेगें या लम्बित हैं, उन्हें सुनने एवं निपटाने के लिए उक्त अवकाश अवधि में निम्नलिखित अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है :–

1– श्री पवन कुमार जीनवाल — दिनांक 25.12.2018 से 27.12.2018 तक
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अलवर
(मो.नं.– 9928389801)

2– श्री अखिलेश कल्याण, — दिनांक 28.12.2018 से 31.12.2018 तक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर
(मो.नं.– 8003395824, 9414387789)

उपर्युक्त अधिकारीगण उक्त अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों का आवश्यक प्रकृति का सिविल कार्य भी निपटायेगें।

अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय भी शीतकालीन अवकाश की अवधि में बन्द रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि {रिमाण्ड} की अभिवृद्धि {सार्वजनिक एवं राजपत्रित अवकाशों सहित} तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने हेतु सम्पूर्ण अलवर न्यायक्षेत्र के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

1– श्रीमती नीलोफर तोमर, — दिनांक 25.12.2018 से 27.12.2018 तक
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 2, अलवर
(मो.नं.– 9927390450)

2– बबीता वर्मा, — दिनांक 28.12.2018 से 31.12.2018 तक
अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं. 3, अलवर
(मो.नं.– 8078633194)

शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान दिनांक 25.12.2018 के राजपत्रित अवकाश के दिन सभी न्यायालय बन्द रहेंगे।

उपरोक्त अधिकारीगण के न्यायालय उनकी ड्यूटी दिवसों में खुले रहेंगे एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

शीतकालीन अवकाश अवधि में कार्य करने हेतु अधिकृत अधिकारीगण ही कोड ऑफ कन्डक्ट के अनुसार प्रोटोकाल सम्बन्धी समस्त कार्य की व्यवस्था करेंगे।

Sd-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक / स्था. / शीत.अव. / 2018 / 3035 से 123 दिनांक : 06/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ, जयपुर।
3. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलवर / बहरोड़ / किशनगढ़बास / राजगढ़ / लक्ष्मणगढ़ / तिजारा / कठूमर / बानसूर / थानागाजी / मुण्डावर / रामगढ / नीमराना / भिवाडी / कोटकासिम / मालाखेडा।
5. जिला कलक्टर, अलवर।
6. पुलिस अधीक्षक, अलवर को भिजवाकर लेख है कि उक्तानुसार समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करवाने का कष्ट करें।
7. अधीक्षक, जिला कारागृह, अलवर / उप कारागृह, बहरोड़ / किशनगढ़बास।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / लेखा शाखा / प्रतिलिपि शाखा / अभिलेखागार।
9. सहायक नाजिर (तामील) / कोर्ट मैनेजर, कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।

6/12/18

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र